FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत — सहायक कलक्टर (मु0) — मुकाम — धौलपुर —

उनवान : किशनलाल बनाम किशनलाल

किस्म मुकद्दमा– – नम्बर 36 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2019	वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बहस सुने जाने का निवेदन किया । वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि बादी किशनलाल पुत्र मुकन्दी की मुत्यु दिनांक 02.12.2017 को हो गई । प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । उन्होंने यह भी कथन किया कि मृतक वादी किशनलाल की कार्यवाही इस कारण नहीं हो सकी क्योंकि वादी के वारिसान को उक्त वाद की जानकारी नहीं थी । उनसे सम्पर्क भी नहीं हो सका था । वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्रों, कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सिविल प्रकिया संहिता के तहत यदि वाद में वादी या कोई पक्षकार का निधन हो जाता है तो उसके कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु वादी को 90 दिवस का समय दिया गया है । इसके अलावा 2 माह का अतिरिक्त समय अवेटमेंन्ट निरस्त कराने का दिया गया है । उपरोक्त वाद में यह स्वीकृत तथ्य है कि किशनलाल की मृत्यु दिनांक 02.12.2017 को हो चुकी है । प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 02.11.2018 को पेश किया गया है जो कि करीब 11 माह बाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी में अवेटमेंन्ट को निरस्त कराने की कोई प्रार्थना नहीं गई है । जबकि प्रार्थना पत्र में आवश्यक था कि वह प्रार्थना पत्र के साथ	

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

Scanned with CamScanner

में अवेटमेंन्ट निरस्त की जाने की प्रार्थना भी करते । प्रार्थना पत्र में मृत वादी के 4 वारिस बताये गये है । परन्तु पीतमसिंह व ज्वालाप्रसाद द्वारा पेश किया गया है तथा अन्य वारिसों का कोई वकालतनामा भी पेश नहीं किया गया है । चूंकि प्रार्थना पत्र वकालतनामा व अवेटमेंन्ट निरस्त किये जाने की प्रार्थना के अभाव में अपूर्ण है इसलिये वाद पत्र अवेटमेंन्ट में खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकों की बहस का मनन किया प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है किशनलाल जो कि एक मात्र वादी है मृत्यु दिनांक 02.12.2017 को हो चुकी है । जिसकी तस्दीक प्रार्थी पीतमसिंह द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति से होती है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 02.11.2018 को पेश किया गया है । जिस पर केवल पीतमसिंह व ज्वालाप्रसाद के हस्ताक्षर है । प्रार्थना पत्र के साथ ना तो वकालतनामा पेश किया है और ना ही प्रार्थना पत्र में उपशमन(अवेटमेंन्ट) को निरस्त कराने की प्रार्थना की गई है । वाद पत्र की आदेशिका दिनांक 23.04.2018 के अनुसार वकीलवादी को कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु वकील वादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 को पेश किया है । प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि वकील वादी वाद पत्र की पैरवी में लापरवाही करते रहे है तथा कायम मुकाम की कार्यवाही अवधि में नहीं करने का कोई उचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया। अतः हम उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी को खारिज करते हुये वाद को उपशमित मानते हुए वाद पत्र को खारिज किया जाना उचित समझते है । वाद पत्र उपशमित हो जाने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें । निर्णय सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

Scanned with CamScanner